

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प लाखाऊ.

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लाखाऊ..... व भूअ.नि. सिरखला..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु...../नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लादड़िया..... तहसील चूरु..... व जिला चूरु..... की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074..... में खाता संख्या 20, 21..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	लादड़िया	20	जयलाल पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/10 जाति जाट निवासी लादड़िया खातेदार राखिन हिस्सा 1/10 B0B शाखा चूरु	जयलालसिंह पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/10 जाति जाट निवासी लादड़िया खातेदार राखिन 1/10 शाखा B0B शाखा चूरु
2.	लादड़िया	21	जयलाल पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी लादड़िया खातेदार राखिन हिस्सा 1/5 शर्मा शाखा B0B शाखा चूरु	जयलालसिंह पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी लादड़िया खातेदार राखिन 1/5 शर्मा शाखा B0B शाखा चूरु



.....
पीठासीन अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 94/2021

दिनांक :- 12-10-21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री जयलालसिंह पुत्र मोतीराम जाति जाट नि. लादड़िया..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

नया सं 934
12-10-21

.....
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)